न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)

अनुवान :—सुल्तान ..... बनाम राजस्थान सरकार आदि

प्रार्थना पत्र संख्या :— 58 / 2025

निर्णय दिनांक :— 01/09/2025

ुलतान पुत्र किशनाराम जाति नायक निवासी बनियाला तहसील तारानगर जिला चूरू

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तारानगर जिला चूरू
2. मनीराम पुत्र किशनाराम जाति नायक निवासी बनियाला तहसील तारानगर जिला चूरू
3. आशाराम पुत्र किशनाराम जाति नायक निवासी बनियाला तहसील तारानगर जिला चूरू
4. चिमनाराम पुत्र किशनाराम जाति नायक निवासी बनियाला तहसील तारानगर जिला चूरू
5. पुरखाराम पुत्र किशनाराम जाति नायक निवासी बनियाला तहसील तारानगर जिला चूरू
6. दुर्गाराम पुत्र किशनाराम जाति नायक निवासी बनियाला तहसील तारानगर जिला चूरू
7. उर्मिला देवी पत्नी प्रेमप्रकाश जाति झंवर निवासी रैयाटुण्डा तहसील तारानगर जिला चूरू
8. कान्ता देवी पत्नी ओमप्रकाश जाति झंवर निवासी रैयाटुण्डा तहसील तारानगर जिला चूरू
9. मधुकांत पुत्री ओंकारमल जाति मोची निवासी वार्ड नं. तारानगर जिला चूरू
10. मोहनलाल पुत्र मघाराम जाति जांगिड़ निवासी बनियाला तहसील तारानगर जिला चूरू

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, 129 भू राजस्व अधिनियम हर प्रकार के साक्ष्य के आधार पर।

उपस्थित :—1. श्री मुकेश शर्मा अभिभाषक वास्ते प्रार्थी
2. श्री पूर्णाराम सांगवान अभिभाषक वास्ते अप्रार्थी सं. 06
3. श्री आशाराम आचार्य अधिवक्ता वास्ते अप्रार्थी संख्या 09
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तारानगर वास्ते अप्रार्थी सं. 01

ड अधिकारी
नगर (चूरू)

—: निर्णय :—

प्रार्थी ने अन्तर्गत धारा 111, 128, 129 एल.आर. एक्ट प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया है कि कृषिभूमि खाता सं. 253 के खेत खसरा नं. 1551/358 तादादी 2.7187 हेक्टेयर रोही मौजा ढाणी माना तहसील तारानगर जिला चूरू में स्थित है। प्रार्थी के खेत के उतरी तरफ अप्रार्थीगण सं. 2 ता 5 के खेत खसरा नं. 1550/358, 1549/358, 1548/358, 1547/358, प्रार्थी के खेत के दक्षिण तरफ अप्रार्थी सं. 6 के खेत खसरा नं. 1552/358, प्रार्थी के खेत के पूर्वी तरफ अप्रार्थीगण सं. 7. 8 व 10 के खेत खसरा नं. 1180/357, 1179/357 तथा प्रार्थी के खेत के पश्चिमी तरफ अप्रार्थीया सं. 9 के खेत खसरा नं. 1656/1446 के खेत लगते है जो लालची व झगड़ालू प्रवृति के व्यक्ति है जो आये दिन सींव के विवाद को लेकर प्रार्थी के साथ लड़ाई झगड़ा करते रहते है तथा प्रार्थी की गैर मौजूदगी में प्रार्थी की कृषिभूमि

Rajender

की सींव को खुर्द बुर्द करते रहते है तथा उसकी कृषिभूमि अपनी भूमि में मिलाने की कोशिश करते रहते है। अब प्रार्थी अपनी उक्त कृषिभूमि के चारो तरफ पटियां रोपकर तारबंदी करना चाहता है ताकि उसके खेत की सुरक्षा हो सके तथा आवारा पशुओं से फसल की रक्षा हो सके तथा किसी पड़ौसी के साथ सींव सम्बंधी कोई विवाद न हो। इसलिये प्रार्थी दिनांक 30.03.2025 को अपनी कृषिभूमि की तारबंदी करने लगा तो अप्रार्थीगण सं. 2 ता 10 प्रार्थी के साथ लड़ाई झगड़ा करने लगे तथा प्रार्थी को अपने खेत की सींव पर तारबंदी करने से रोक दिया तब प्रार्थी ने ओलमा दिया तो अप्रार्थीगण सं. 2 ता 10 ने कहा कि हम तुझे तारबंदी नहीं करने देगें जबकि प्रार्थी अपनी ही कृषिभूमि की सींव पर तारबंदी कर रहा था। प्रार्थी जो एक शांत स्वभाव का व्यक्ति है जो किसी प्रकार का विवाद नहीं चाहता है इस कारण प्रार्थी अपनी कृषिभूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थर गढी कराना चाहता है। ताकि भविष्य में किसी पड़ौसी के साथ सीमा को लेकर कोई विवाद न हो तथा प्रार्थी के खेत की सीव नष्ट न हो। इस कारण पैमाईश कराकर पत्थरगढी करानी न्यायहित में आवश्यक है। प्रार्थी ने अपनी उक्त खसराजात की कृषिभूमि का सीमाज्ञान करवाने हेतु अप्रार्थी सं. 1 तहसीलदार महोदय के समक्ष निवेदन किया व हल्का पटवारी से भी कहा तो उन्होनें कहा कि कोर्ट से आदेश लेकर आओ हम तभी सीमाज्ञान कर वहां पर पत्थरगढी करवा देगें। न्यायालय के आदेश बिना हम पत्थर गढी नहीं कर सकते है। विवादित कृषिभूमि का लैण्ड होल्डर राजस्थान सरकार है तथा राजस्थान सरकार का प्रतिनिधि तहसीलदार तारानगर है इस कारण राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि तहसील तारानगर को आवश्यक पक्षकार अप्रार्थी सं. 1 बनाया गया है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि, अप्रार्थी सं. 1 को आदेश दिया जावे कि प्रार्थी की कृषिभूमि खाता सं. 253 के खेत खसरा नं. 1551/358 तादादी 2.7187 हेक्टेयर रोही मौजा ढाणी माना तहसील तारानगर जिला चूरू का सीमाज्ञान कराकर पत्थर गढी का आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

इस कारण प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय में अपने खेत की पत्थरगढ़ी कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 6 की ओर से अधिवक्ता श्री पूर्णाराम सांगवान एवं अप्रार्थी सं. 09 की ओर से श्री आशाराम आचार्य अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थीगण संख्या 2, 4, 5 एवं 10 ने स्वयं उपस्थित होकर पत्थरगढी करवाने के लिए सहमती जाहिर की है। वकील प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 3, 7, 8 को जारी रजिस्टर्ड नोटिस की रसीद एवं ट्रेकिंग रिपोर्ट पेश की गई। उक्त अप्रार्थीगण ना ही तो असालतन एव ना ही वकालतन उपस्थित आये। अप्रार्थीगण संख्या 3, 7, 8 को बार-बार रूक-रूक कर आवाज लगाने पर भी उपस्थित नही हुये। अतः उक्त प्रार्थीगण के विरूद्ध दिनांक 02.06.2025 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी सं. 09 ने आज दिनांक 29.08.2025 तक जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया अतः उक्त अप्रार्थी का जवाब प्रार्थना पत्र बंद किया गया। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से राजपैरोकार उपस्थित उन्होंने राज्यहित प्रभावित नही होना जाहिर किया। इस प्रकार प्रार्थना पत्र का कोई खण्डन पेश नही हुआ।

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को ही दौहराते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार करने एवं विवादित भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का निवेदन किया। वकील प्रार्थी की बहस पर गौर किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी कृषिभूमि खाता सं. 253 के खेत खसरा नं. 1551/358 तादादी 2.7187 हेक्टेयर रोही मौजा ढाणी माना तहसील तारानगर जिला चूरू के रिकॉर्ड खातेदार है। भूमि प्रार्थी की खातेदारी में है। प्रार्थी अपने खेत व काश्त की सुरक्षा के लिए चारो ओर निशानदेही देकर पत्थर गढ़ी करवाना चाहता है। प्रार्थी की भूमि की पत्थरगढ़ी से किसी भी पक्ष को कोई नुकसान होना प्रतीत नहीं होता। प्रार्थना पत्र का कोई खण्डन भी पेश नहीं हुआ हैं। वर्णित विवेचन से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

Jeyendra

अतः स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार तारानगर को आदेश दिया जाता है कि वह पड़ौसी खातेदारों को सूचित करते हुए राजस्व नक्शा के मुताबिक कृषिभूमि खाता सं. 253 के खेत खसरा नं. 1551/358 तादादी 2.7187 हेक्टेयर रोही मौजा ढाणी माना तहसील तारानगर जिला चूरू सीमाचिन्ह स्वयं अथवा नायब तहसीलदार के निर्देशन में राजस्व कार्मिक टीम से कायम करावें। सीमाचिन्ह कार्यवाही का समस्त खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। ध्यान रहे पत्थरगढ़ी के दौरान किसी भी काश्तकार को बेदखल नही किया जावे। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को तहरीर जारी हो।

(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

निर्णय आज दिनांक ....01/09/2025..... को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)